1612/Cl DIO MFC

# कार्यालय नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद–देवरिया

पत्रांक– 705 / न0प0बरियारपुर / 2020–21 दिनांक– 01.7.2020

ADM(F) 2/7/20

## अल्प कालिक निविदा सूचना

एतद् द्वारा वर्ष 2020–21 में पंजीकृत / नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत बरियारपुर जनपद देवरिया में 14वें वित्त आयोग (द्वितीय किश्त) की प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 13-07-2020 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर निविदादाता द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय एल0बी0सी0 / टी0ए0सी0 पटल पर रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी एवं उसी तिथि को अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया के कार्यकक्ष में उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष सायं 3.00 बजे निविदा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 10-07-2020 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 2.00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत बरियारपुर देवरिया तथा एल0बी0सी0 / टी0ए0सी0 पटल देवरिया से क्रय किया जा सकता है। निविदा के साथ यथेष्ठ मूल्य की धरोहर धनराशि पूर्वांचल बैंक, बरियारपुर के खाता संख्या–75081799816 आई.एफ.एस.सी. कोड–SBIN0RRPUGB में नकद जमा / आर.टी.जी.एस. करके प्राप्ति रशीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नकद जमा धरोहर धनराशि निविदादाता की निविदा सफल होने पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बरियारपुर के पदनाम बन्धक एफ.डी.आर / के.बी.पी. / एन.एस.सी. जमा कराकर नकद धनराशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। निविदा सम्बन्धित कोई जानकारी कार्यालय दिवस में नगर पंचायत बरियारपुर से प्राप्त की जा सकती है। जमानत प्रपत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। उक्त विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

| क्र. सं. | निर्माण कार्य का नाम | आगणन की धनराशि | जमानत धनराशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | वार्ड नं0 02 चौकिया में मुन्द्रिका पासवान के मकान से हरिन्द्र पासवान के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 6,63,117.00 | 66,300.00 | 660.00 | एक माह |
| 2 | वार्ड नं0 05 पोटरिहवाँ में सुरेन्द्र गुप्ता के मकान से विपिन यादव के घोठा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 9,99,458.00 | 99,900.00 | 1000.00 | एक माह |
| 3 | वार्ड नं0 09 में धर्मेन्द्र के मकान से सार्वजनिक पोखरा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 7,13,266.00 | 71,300.00 | 700.00 | एक माह |
| 4 | वार्ड नं0 09 में रामपत राजभर के मकान से रामनाथ के घोठा तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 5,69,588.00 | 57,000.00 | 570.00 | एक माह |
| 5 | वार्ड नं0 13 में धनेसर गोंड़ के मकान से बेचू राय के मकान होते हुए खरोह पुलिया तक नाली निर्माण कार्य। | 6,89,154.00 | 68,900.00 | 690.00 | एक माह |

**नियम व शर्ते :–**

1– निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र टी–4, हैसियत प्रमाण पत्र टी–5, व्यापार कर प्रमाण–पत्र, जी.एस.टी.एन. नं0, पैन कार्ड पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2– ठेकेदारों को नियमानुसार स्टाम्प पेपर अपने व्यय से क्रय कर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जायेगा।

3– सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी एवं एक या समस्त निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

4– लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं कार्य संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

5– नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।

6– निविदा प्राप्त करने की तिथि मे यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस मे निविदा प्राप्त कर खोला जायेगा।

7– सम्बन्धित फर्म / एजेंसी / ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य स्थल का, कार्य प्रारम्भ का एवं कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ तथा डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का विवरण अपने व्यय से लिखवाकर लगवाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात फोटोग्राफ के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

8– प्रत्येक निविदा के साथ जमा जमानत धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

9–निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में व्यवधान, अभद्रता, दुरव्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में डालते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जायेगी।

10–14वें वित्त आयोग की उपयोगावधि 31 जुलाई 2020 तक ही निर्धारित है।

11–अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर (कोषागार) ट्रेजरी से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।

12–निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्ति के त्वरित बाद निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा, तथा नियत समय के अन्तर्गत पूर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा विलम्ब की दशा में जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

13–शासनादेश संख्या–24वीआईपी(1)/5–2017–120बजट/2013 दिनांक 24 अगस्त 2017 का अनुपालन निविदा के क्रय में किया जायेगा।

14–मिट्टी/खड़न्जा सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर रख–रखाव की जिम्मेदारी एक वर्ष की होगी,तदोपरानत जमानत धनराशि वापस की जायेगी।

15–क्रम संख्या 01 से लगायत 05 तक निविदा में उल्लिखित निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिल्डिंग कार्य कराये जाने से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

**अधिशासी अधिकारी**
नगर पंचायत बरियारपुर
देवरिया

**अध्यक्ष**
नगर पंचायत बरियारपुर
देवरिया

पत्रांक– 705(6) /न0पं0बरियारपुर–2019–20 दिनांक– 1/7/2020

**<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– जिलाधिकारी देवरिया।

2– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया।

3– उप जिलाधिकारी (सदर) देवरिया।

4– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया/गौरा बरहज, जनपद–देवरिया, नगर पंचायत–सलेमपुर/लार/मझौलीराज/भटनी बाजार/भाटपार रानी/रामपुर कारखाना/रुद्रपुर जनपद–देवरिया।

5– कार्यालय नगर पंचायत बरियारपुर, लो0नि0वि0प्रा0ख0/कलेक्ट्रेट देवरिया के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

6– NIC Deoria पर अपलोड करने हेतु।

7– विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र– को इस आशय से प्रेषित की विज्ञापन प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक मे प्रकाशित कर समाचार की दो प्रति बिल सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

27-6-20

**अधिशासी अधिकारी**
नगर पंचायत बरियारपुर
देवरिया

**अध्यक्ष**
नगर पंचायत बरियारपुर
देवरिया